इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
इंडियन ऑयल भवन, 65/2, संजय प्लेस, आगरा – 282 002 (उ. प्र.)
✆ : 2855653 फैक्स : 0562-2851340
Indian Oil Corporation Limited
Indian Oil Bhawan, 65/2, Sanjay Place, AGRA - 282 002 (U.P.)
✆ : 2853016, 2525522, 2855653 Fax : 0562-2851340
इंडियन ऑयल
Indian Oil
मार्केटिंग डिविजन
Marketing Division.

मानक शर्ते

वन अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 7314/14–3–1980/92 दि0 31.12.1984 द्वारा निर्धारित

1– भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उनके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2– प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3– याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष का हस्तातंरित नहीं करेगा।

4– भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मॉगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5– हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाएंगे और ऐसा किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को कराना होगा।

6– भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित जिलाधिकारी की देख रेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गए गुनारे आदि की देखभाल करेगा।

7– हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की पूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।

5/8/19

मो. एहतशाम जुबैरी / ...
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. / Indian Oil Corporation Ltd.
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil Bhawan
65/2, संजय प्लेस, आगरा / 65/2, Sanjay Place, Agra

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
इंडियन ऑयल भवन, 65/2, संजय प्लेस, आगरा – 282 002 (उ. प्र.)
✆ : 2855653 फैक्स : 0562-2851340
Indian Oil Corporation Limited
Indian Oil Bhawan, 65/2, Sanjay Place, AGRA - 282 002 (U.P.)
✆ : 2853016, 2525522, 2855653 Fax : 0562-2851340
इंडियन ऑयल
Indian Oil
मार्केटिंग डिविजन
Marketing Division.

9– सिंचाई/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

10– याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार के लिए का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी।
वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किए गए विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

11– सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बंध में प्रमुख अभियंता, भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पर्वतीय क्षेत्र, पौड़ी का सम्बंधित पत्र संख्या– 608/सी दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो का मामूली फेरबदल कर पक्का कराना होगा, बशर्त ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12– वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।

13– वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समक्षों द्वारा किया जायेगा यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव ना हो सके और उसकाक पतन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14– हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों को प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा 10 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खडे वृक्षों का पातन निषिद्व है। इसी प्रकार बॉज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन स्तर पर ही हो सकेगा।

5/8/19

मो. एहतशाम जुबैरी
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
Indian Oil Corporation Ltd.
आगरा मण्डल कार्यालय

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
इंडियन ऑयल भवन, 65/2, संजय प्लेस, आगरा – 282 002 (उ. प्र.)
✆ : 2855653 फैक्स : 0562-2851340

Indian Oil Corporation Limited
Indian Oil Bhawan, 65/2, Sanjay Place, AGRA - 282 002 (U.P.)
✆ : 2853016, 2525522, 2855653 Fax : 0562-2851340

इंडियन ऑयल
Indian Oil

मार्केटिंग डिविजन
Marketing Division.

15– वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा या खम्भों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक अनुमोदन आवश्यक है।

16– यदि नहर आदि निर्माण में भू–रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों का पक्का करना आवश्यक समझाा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं कराएगा।

17– उपलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 आगरा द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभागो मान्य होगी।

18– वन भूमि का वास्तविक हस्तानान्तरण तभी किया जाए जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए। मैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 आगरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 आगरा को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

5/8/19

मो. एहतशाम जुबैरी / Mohd. Ehtasham Z...
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail ...)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional O...
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा ...002 (उ...)
65/2, Sanjay Place, Agra ...02 (U...)